



भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान

ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE

अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501

AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501



Registered

दिनांक 16.05.2016

पत्रावली क्रमांक 2(74)एसपी/2013/511
मैसर्स चौधरी फिलिंग सेन्टर,
रिलायन्स पेट्रोल पम्प,
आर.जे.एफ. -128 फलोदी बालाजी के पास,
मालपुरा जिला टोंक (राज0)304502
मोबाइल नं. 9667120113

विषय :- संस्थान में समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों के प्रचालन के लिये डीजल ऑयल, ग्रीस, एवं ल्यूब्रीकेन्ट की आपूर्ति करने के कार्य अनुबंध के संबंध में
संदर्भ :- आपके कोटेशन दिनांक 03.05.2018 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय ने आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 03.05.2018 को स्वीकार कर लिया है। अतः आपको संस्थान के समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों के प्रचालन के लिये डीजल ऑयल, ग्रीस, एवं ल्यूब्रीकेन्ट की आपूर्ति करने हेतु निम्नलिखित दर एवं शर्तों पर आपूर्ति हेतु अनुबंध आदेश दिनांक 21.05.2018 से 20.05.2019 तक एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

1. आप द्वारा संस्थान की मांग के अनुसार समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों के प्रचालन के लिये डीजल ऑयल, ग्रीस, एवं ल्यूब्रीकेन्ट की आपूर्ति एमआरपी दरों पर प्रतिदिन सरकारी दरों पर 0.25 पैसे प्रति लीटर की छूट एवं ऑयल (ल्यूब्रीकेन्ट) की आपूर्ति एमआरपी पर 21 प्रतिशत की छूट के आधार पर करनी होगी।
2. आप द्वारा आपूर्ति किये गये पेट्रोल, डीजल का भूगतान प्रत्येक 15 दिवसों के अन्तराल में 3 प्रतियों के साथ pre-receipted बिल (प्रत्येक) मयें कूपनों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार उचित समयावधि में E-Payment के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। इस हेतु आपको बिल के साथ बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. आप द्वारा समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों के प्रचालन के लिये डीजल ऑयल, ग्रीस, एवं ल्यूब्रीकेन्ट की आपूर्ति संस्थान की मांग के अनुसार समय पर सही मात्रा एवं शुद्धता (Quality & quantity) में करनी होगी।
4. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को उपरोक्त कार्य अनुबंध बढ़ाने / घटाने, संस्थान हित में किसी भी शर्त में परिवर्तन करने तथा बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
5. डीजल, ल्यूब्रीकेन्ट आदि की शुद्धता पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुसार सही होना चाहिये।

यह सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Necroj
12/5/18
(नीरज तेंवर)

प्रशासनिक अधिकारी (क्रय)

प्रति:- 1. प्रशासन अनुभाग द्वितीय 2. वित्त एवं लेखा अधिकारी 3. भण्डार अनुभाग 4. प्रभारी वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग को उनके पत्र क्रमांक 6-कार्यशाला/पी.ओ.एल./2013/2 दिनांक 03.04.2018 के संबंध में प्रेषित कर निवेदन है कि वे डीजल ऑयल, ग्रीस एवं ल्यूब्रीकेन्ट आदि का समस्त रिकार्ड वाहन अनुभाग में रखते हुये फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल आवश्यक प्रविष्टियों के उपरान्त भुगतान संबंधि आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रशा0अनु0द्वितीय को भिजवाने का श्रम करे। 5. प्रभारी एकेएम यूनिट को भेजकर निवेदन है कि कृपया संस्थान वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करे। 6. श्रीमान निदेशक महोदय को सूचनार्थ